संख्या-46/2019/1081/12-5-2019-ब०-03/2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 04 अक्टूबर, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद, 52-पुनरीक्षित वेतन के एरियर में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०लेखा/पुनर्विनियोग/2019-20/91-डी, दिनांक 21.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन एरियर में धनराशि रू० 47.82 लाख (रू० सैतालिस लाख बयासी हजार मात्र) को विभागीय बचतो से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियामों के अधीन किया जायेगा।

4- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा।

5- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत मानक मद 01-वेतन में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन एरियर व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-46/2019/1081(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
मंजू लता सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रपत्र–बी0एम0–09 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम –**11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)** वित्तीय वर्ष 2019–20

प्रपत्र बी0एम0–09

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2402 00 101 03 00 2402–मृदा तथा जल संरक्षण, 101–मृदा संरक्षण तथा परीक्षण 03–मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण कार्यक्रम					
01–वेतन	20951.76	47.82	47.82	47.82	20903.94
योग	20951.76	47.82	47.82	47.82	

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदक पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2402 00 001 03 00 2402–मृदा तथा जल संरक्षण, 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान व्यय					
52–पुनरीक्षित वेतन एरियर	0.50	48.32	47.82	47.82	48.32
योग	0.50	48.32	47.82	47.82	48.32

(रू0 सैंतालिस लाख बयासी हजार मात्र)

(1)अद्यतन व्यय के आधार पर उपलब्ध बचत।

(2)उक्त मद में पर्याप्त धन की व्यवस्था न होने के कारण।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर0ई0–90 /ई–1–दस–2019, दिनांक:06-9-2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Manju

(मंजू लता सिंह)

उप सचिव (कृषि)

उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम.....(नीलेश कुमार सिंह)

05.9.19

उप सचिव,

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–1081/ 12–5–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।